राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 41/जालौर 1988-89

यह प्रमाणित किया जाता है कि गीतांजली शिक्षण संस्थान, बोरावड़ जिला जालौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 03 माह जनवरी सन् एक हजार नौ सौ अठ्यासी को जालौर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

रजिस्ट्रार संस्थाएं जालौर

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

GEETANJALI SHIKSHAN SANSTHAN

03/11/1988

Permanent Account Number

AABTG0686K

Signature

In case this card is lost / found, kindly inform / return to :

Income Tax PAN Services Unit, UTITSL
Plot No. 3, Sector 11, CBD Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.

इस कार्ड के खोने/पाने पर कृपया सूचित करें/लौटाएं :
आयकर पैन सेवा यूनीट, यूटीआईटीएसएल
प्लाट नं: ३, सेक्टर ११, सी.बी.डी.बेलापुर,
नवी मुंबई-४०० ६१४.

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 41/NAGAUR/1988-1989 दिनांक / DATE- 14-02-2022

GEETANJALI SHIKSHAN SANSTHAN BORAWAR जिला **नागौर** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

GEETANJALI SHIKSHAN SANSTHAN BORAWAR DISTRICT **Nagaur** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Aadhaar No	DOB
1		Abdul Imran Khan	MALE	VICE PRESIDENT	XXXXXXXX5801	30/01/1988
2		Arun Kumar Rajoria	MALE	EDUCATIONIST	XXXXXXXX8363	01/12/1973
3		Lal Mohd Khan	MALE	SECRETARY	XXXXXXXX7424	01/06/1969
4		Memoona Bano	FEMALE	CHAIRMAN/PRESIDENT	XXXXXXXX0513	01/08/1972
5		Mohammed Sarif Khan	MALE	MEMBER	XXXXXXXX5725	20/09/1972
6		Moinuddin	MALE	MEMBER	XXXXXXXX1260	01/06/1987

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaypalgodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2022.02.14 14:17:17 IST
Reason: Approved
Location: Nagaur

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Aadhaar No	DOB
7		Parvat Khan	MALE	TREASURER	XXXXXXXX5213	10/07/1991
8		Ramjan Bano	FEMALE	MEMBER	XXXXXXXX0572	15/08/1954
9		Reshma Khan	FEMALE	MEMBER	XXXXXXXX6633	19/07/1994
10	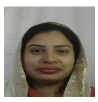	Ruksar Bano	FEMALE	MEMBER	XXXXXXXX6596	03/06/1994
11		Sabiha Naz Khan	FEMALE	MEMBER	XXXXXXXX6635	11/01/1991
12	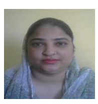	Shabnam Khan	FEMALE	MEMBER	XXXXXXXX4602	23/02/1983
13	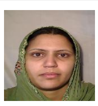	Shama Naaj	FEMALE	MEMBER	XXXXXXXX4457	11/07/1987
14	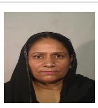	Shamshad Begam	FEMALE	MEMBER	XXXXXXXX7575	15/10/1974
15		Sohan Choudhary	MALE	MEMBER	XXXXXXXX7968	01/02/1974

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaypalgodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2022.02.14 14:17:17 IST
Reason: Approved
Location: Nagaur

प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गए जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 01 से 181 तक उपलब्ध है (प्रमाणित) प्रति है।

प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 19.7.11 प्रति जारी करने वाले के हस्ताक्षर

उप. रजि. सह. स., नागौर

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

गीतांजली शिक्षण संस्थान बोरावड नागौर (राजस्थान)

क्रमांकः–41/नागौर/1988–89 दिनांक 10/11/09 में पारित संशोधन दिनांकः–03/11/1988

क्र.सं.	विधान की धारा	पंजिकृत विधान	विधान में संशोधन किया गया (जिसका नया नियम)
1.	नाम	गीतांजली शिक्षण संस्थान, बोरावड इकोनेमिक कल्चर सोसायटी रहेगा	गीतांजली शिक्षण संस्थान बोरावड तहसील मकराना, जिला नागौर (राजस्थान) रहेगा।
2.	संस्था का स्थान	देशवाली मोहल्ला, ग्राम बोरावड, तहसील मकराना, जिला नागौर (राज.) में रहेगा।	2. यथावथ
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	समस्त राजस्थान प्रदेश होगा	3. यथावथ
4.	संस्था का उद्देश्य	1. समाज के निम्न स्तर के गिरे हुए लोगो का स्तर सुधारने व गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समुदायों का स्तर सुधारने के लिए संस्थाए स्थापित करना व उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना।	1. यथावथ
		2. शैक्षणिक विकास हेतु स्कूल खोलना, तथा संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान करना।	2. यथावथ
		3. बैंक से आवश्यकतानुसार ऋण लेना तथा उसका भुगतान करना।	3. यथावथ
		4. शैक्षणिक स्तर के उत्थान के लिए स्कूल कॉलेज व प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र खोलना और उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना।	4. यथावथ
		5. जाति संप्रदाय, लिंग आदि के भेदभाव के बिना किसी भी व्यक्ति व संस्था को आर्थिक सहायता देना व उन्हें संस्था का सदस्य बनाना तथा उनसे सदस्यता शुल्क, चन्दा और दान प्राप्त करना।	5. यथावथ
		6. अधिक से अधिक नागरिकों तथा संस्थाओ को सदस्य बनाकर उनके आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सहयोग देना।	6. यथावथ
	संस्था के दिनांक 30-11-2009 को उपनियम संशोधन सहित संशोधित विधान ... किये गये। (हस्ताक्षर) रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर	7. सरकार के सहयोग से जनहित के लिए बिना किसी राजनैतिक दबाव से समाज में निम्न स्तर के लोगो को सहायता पहुचाना ओर संस्था द्वारा बनाए गए नियमो के अधिन उनकी मदद करना तथा उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर को उठाना।	7. यथावथ
		8. सामाजिक स्तर के सुधार हेतु धर्मशाला, अस्पताल, अनाथालय तथा	8. यथावथ

अध्यक्ष सचिव/मंत्री कोषाध्यक्ष

158

		सामाजिक संस्थाए स्थापित करना व जनहित को लाभ पहुंचाना। 9. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में किसी भी प्रकार का स्वार्थ व लाभकिसी व्यक्ति विशेष का निहित नहीं होगा और न तो कोई लाभनिहित हैं। 10. प्रजातांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के बीस सूत्री कार्यकम को सफल बनाने में सहयोग देना तथा इनके द्वारा बनाई गयी योजनाओ को स्वीकार करते हुए नागरिको को सहयोग देना जैसे–प्रोढ शिक्षा योजनाओं को संचालित करना तथा जनहित के लिए सरकार द्वारा बनाई योजनाओं को संचालित करना व सफल बनाना । 11. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड दिल्ली के सोसायटियो, इकोनोमिक्स योजनाओं को सफल बनाने हेतु उनकी गतिविधियो को संचालित करना तथा उनके सहयोग से महिलाओं तथा बच्चो को लाभावित करना। 12. उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं। नागौर 30-11-2009 को उपनियम ... सहित संशोधित विधान ... गये। रजिस्ट्रार संस्थाऐ नागौर	9. यथावथ 10. यथावथ 11. यथावथ 13. क्षेत्र के अल्पसंख्यक, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुसार प्रमुख्तः मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगो के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण व सहायता के लिए व्यवस्था एवं कार्यक्रम चलाना। 14. सरकार द्वारा प्रायोजित महिला विकास एवं बाल विकास, सर्वशिक्षा अभियान, व महिला शिक्षा कार्यक्रमों को क्रियान्वयन एवं निष्पादन करने में सहयोग प्रदान करना । 15. इस संस्था द्वारा एस.टी.सी., बी. एड़, एवं नर्सिग फार्मेसी, वैटेनरी, मैनेजमेन्ट एवं तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थान खोलना एवं शिक्षा प्रदान करना व कुशल शिक्षक प्रदान करना व कुशल शिक्षक तैयार करने में सहयोग प्रदान करना। 16. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा विकास की

अध्यक्ष | सचिव/मंत्री | कोषाध्यक्ष

(159)

		संस्था पंजीयन दिनांक 30-11-2009 को उपनियम संशोधन सहित संशोधित विधान पंजीकृत किया गया। रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर	योजनाओं का क्रियान्वयन एवं निष्पादन करने में सहयोग प्रदान करना। 17. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल व अचल सम्पति क्रय करना, दान लेना, धन संग्रहण करना व योग्य शिक्षको द्वारा छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना। 18. विद्यार्थियों के लिये कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करना व प्रशिक्षण देने में सहयोग करना। 19. विद्यार्थियों के लिये भोजन व रहने की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करना। 20. भारत सरकार व विदेश मंत्रालय द्वारा आयकर में छूट देने हेतु विभिन्न संस्थाओं को दिये जाने वाले लाभ हेतु संस्था आवेदन करेगी। 21. शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन हेतु शैक्षणिक दलों को विदेश में शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन हेतु भेजना। 22. उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं।
5.	सदस्यता	नियम 4 – निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें। 1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दिवालिये न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।	
6.	सदस्यों का वर्गीकरण	नियम 5 – संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगे :–	सभी नियम 6 में यथावथ रहेंगें।

अध्यक्ष | सचिव/मंत्री | कोषाध्यक्ष

160

		1. संस्थापक 2. दानदाता 3. संरक्षक 4. साधारण	
7.	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा	नियम 6– उपनियम 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :– 1. संस्थापक :– राशी 51000/– वार्षिक 2. दानदाता :– राशी ~~250~~ 11000/– वार्षिक 3. संरक्षक :– राशी 21001/– वार्षिक 4. साधारण :– राशी 5100/– वार्षिक उक्त राशी एक मुश्त जमा कराई जावेगी।	उपनियम संख्या 6 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :– 1. संस्थापक :–राशी 5100/– वार्षिक 2. दानदाता :–राशी 1100/– वार्षिक 3. संरक्षक :–राशी 2100/– वार्षिक 4. साधारण :–राशी 510/– वार्षिक उक्त राशी एक मुश्त जमा कराई जावेगी।
8.	सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यो का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :– 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर उक्त प्रकार निष्कासन की अपील ... दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के बहुमत का निर्णय हेतु बद्धे समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।	सभी नियम 8 में यथावथ रहेंगें।
9.	साधारण सभा	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगें।	सभी नियम 9 में यथावथ रहेंगें।
10.	सधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य	साधारण सभा के निम्न के अधिकार और और कर्तव्य होंगे। 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्द्धन करना।	यथावथ

संस्था म दिनांक 30-11-2009 का उपनियम संशोधन सहित संशोधित विधान पंजीकृत किये गये।
रजिस्ट्रार संस्थाएं

अध्यक्ष

सचिव/मंत्री

कोषाध्यक्ष

(6)

		(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)	
11.	साधारण सभा की बैठकें	1. साधारण सभा की बैठक में एक बार अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा की विशेष सभा भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कारम कुल सदस्यों का 2/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व अतिआवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान पर व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विवरणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेन्डो में थे। 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में मंत्री/अध्यक्ष द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में 3 सदस्य कोई भी नोटिस जारी कर सकेंगे, तथा इस प्रकार बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।	निम्न नियम यथावथ रहेंगें।
12.	कार्यकारिणी का गठन	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणीं का गठन किया जाऐगा जिसमें पदाधिकारी व सदस्य निम्न होगे :– 1. अध्यक्ष : एक 2. उपाध्यक्ष : एक 3. सचिव : एक 4. कोषाध्यक्ष : एक 5. सदस्य : ग्यारह इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार पदाधिकारी व ग्यारह सदस्य कुल पन्द्रह सदस्य होंगे।	यथावथ
13.	कार्यकारिणी का निर्वाचन	1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।	यथावथ
14.	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य	संस्थान की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें :– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. .वार्षिक बजठ तैयार करना।	

संस्था म दिनांक 30-11-2009 का उपनियम संशोधन सहित संशोधित विधान पंजीकृत किये गये।

रजिस्ट्रार संस्थाऐ नागौर

नागौर

अध्यक्ष

सचिव/मंत्री

कोषाध्यक्ष

(162)

		3. संस्थान की सम्पति की सुरक्षा करना । 4. वेतनीक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवामुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वयन करना। 6. कार्य व्यवस्था के लिए उप समिति बनाना। 7. अन्य कार्य जों संस्थान के हितार्थ हो, करना।	
15.	कार्यकारिणी के बैठके	कार्यकारिणी की बैठको का विवरण : 1. कार्यकारिणी की वर्क्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यक होने पर बैठक अध्यक्ष /मुख्य समन्वयक द्वारा कभी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधें से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्राय 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दुसरे दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम आवश्यकता नहीं होगी,लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पूर्व एजेण्डा में थें। ऐसी स्थागित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगीं। इस सभा की कार्यवाही की आगामी साधारण सभा मे करना अनिवार्य होगा।	
16.	प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य	*1. अध्यक्ष :–* 1. बैठको की अध्यक्षता करना। 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3. बैटके आहूत करना। 4. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना। *2. उपाध्यक्ष :–* 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त अधिकारो का प्रयोग करना। 2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारो का उपयोग करना। *3. सचिव :–* 1. बैठके आहूत करना।	यथावथ यथावथ यथावथ

संस्था मे दिनांक 30-11-2009 को उपनियम संशोधन सहित संशोधित विधान पंजीकृत किया गया।
रजिस्ट्रार संस्थाऐं
नागोर

अध्यक्ष सचिव/मंत्री कोषाध्यक्ष

(183)

		2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना। 3. आय व्यय पर नियन्त्रण करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल पास करना। 5. [illegible] और से हस्ताक्षर करना। 6. पत्र व्यवहार करना। 7. सम्पति की सुरक्षा के लिए वैधनिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो। *4. उप–मंत्री :–* 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद का समस्त कार्य संचालन करना। 2. [illegible] *5. कोषाध्यक्ष :–* 1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखो पर नियन्त्रण रखना। 3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त करना। 4. अन्य प्रदत कार्य सम्पन्न करना।	यथावथ यथावथ
17.	संस्थान के कोष	संस्थान का कोष निम्न प्रकार से सचित होगा :– 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार सें सचित राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सुरक्षित की जाएगी। 2. अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पराधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरो से बैंक में लेनदेन सम्भव होगा।	यथावथ
18.	कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार	संस्था के हित में कार्य व समय की आवश्यकता निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेगें। 1. अध्यक्ष :– राशि – 100000 /–रू	यथावथ

संस्था ... 30-11-2009 का उपनियम संशोधन सहित संशोधित विधान पंजीकृत किये गये।

उप रजिस्ट्रार, संस्थाएं नागौर

ममुना
अध्यक्ष

सचिव/मंत्री

कोषाध्यक्ष

(164)

		2. मंत्री :- राशि - 80000 /-रु.	प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था [illegible] में प्रस्तुत किये गए पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 01 से 181 तक उपलब्ध है, की प्रमाणित प्रति है।	
		3. कोषाध्यक्ष :- राशि - 50000 /-रु. [illegible] संकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारणी द्वारा की जाएगी।	प्रमाणित प्रति देने की दिनांक 19.7.11	नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर उप रजि. सह. स., नागौर
19.	संस्थान का अंकेक्षण	1. [illegible] जाएगा। 2. [illegible] को प्रस्तुत करने होंगे। 3. [illegible] कार्यकारिणी द्वारा की जाएगी।	यथावत	
20.	[illegible]	1. [illegible] समायोजन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत	
21.	संस्थान का विघटन	यदि संस्थान का विघटन (आवश्यक) हुआ तो संस्थान की समस्त चल व अचल [illegible] को हस्तान्तरित कर दी जाऐगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार, संस्थाएं, नागौर को पंजियन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।	यथावत	
22.	संस्थान के लेखे जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार (संस्थाऐं) नागौर को संस्थान के रिकार्ड का निरिक्षण/जाचॅ करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझाव की पूर्ति की जाऐगी।		

प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त विधान (नियमावली) गीतांजली शिक्षण संस्थान, बोरावड़ की सही एवं सच्ची प्रति हैं।

संस्था ॰ दिनांक 30-11-2009 का उपनियम [illegible] सहित संशोधित विधान [illegible] है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर

अध्यक्ष | सचिव/मंत्री | कोषाध्यक्ष